Draft for Website

मध्यप्रदेश शासन,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 5-2/2022/29-2-FCS भोपाल, दिनांक 18.08.2022

विज्ञप्ति

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के अंतर्गत, निम्नलिखित **जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य** के रिक्त तथा दिनांक 31.03.2023 तक रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या और स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदन भरने में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए किसी भी प्रकार के सुधार / परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पदों का विवरण निम्न है-

https://mpcareer.in/
https://mpcareer.in/
MPCAREER.IN right career disha

क्र सं	जिला आयोग का नाम	पद संख्या		आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान
		अनारक्षित	आरक्षित (महिला)	
1	इंदौर क्र.2	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, इंदौर क्र.2
2	सतना	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, सतना
3	गुना	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, गुना
4	विदिशा	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, विदिशा
5	भिंड	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, भिंड
6	दमोह	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, दमोह
7	रतलाम	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, रतलाम
8	रायसेन	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, रायसेन
9	हरदा	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, हरदा
10	बड़वानी	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, बड़वानी
11	मण्डलेश्वर (खरगौन)	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, मण्डलेश्वर (खरगौन)
12	नीमच	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, नीमच
13	झाबुआ	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, झाबुआ
14	अनूपपुर	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, अनूपपुर
15	अशोकनगर	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, अशोकनगर
16	श्योपुर	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, श्योपुर
17	दतिया	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, दतिया
18	पन्ना	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, पन्ना
19	टीकमगढ़	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, टीकमगढ़
20	बैतूल	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, बैतूल
21	बुरहानपुर	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, बुरहानपुर
22	जबलपुर क्र. 2	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, जबलपुर क्र. 2
23	छतरपुर	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, छतरपुर
24	सीधी	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, सीधी

https://mpcareer.in/

25	शहडोल	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, शहडोल
26	मुरैना	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, मुरैना
27	मंदसौर	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, मंदसौर
28	नरसिंहपुर	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, नरसिंहपुर
29	सिवनी	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, सिवनी
30	बालाघाट	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, बालाघाट
31	शाजापुर	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, शाजापुर
32	छिंदवाड़ा	--	01	जिला उपभोक्ता आयोग, छिंदवाड़ा
33	भोपाल क्र. 2	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, भोपाल क्र. 2
34	भोपाल क्र.1	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, भोपाल क्र. 1
35	उमरिया	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, उमरिया
36	उज्जैन	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, उज्जैन
37	राजगढ़	01	--	जिला उपभोक्ता आयोग, राजगढ़
38	डिण्डौरी	01	01	जिला उपभोक्ता आयोग, डिण्डौरी

https://mpcareer.in/

आवेदन फॉर्म भरने की समय-सीमा निम्नानुसार है –

https://mpcareer.in/

आवेदन जमा करने की आरम्भ तिथि	**दिनांक 23/08/2022**
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 06/09/2022 को सायं 5.00 बजे तक**

आवेदन संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/विशेष वाहक/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकेंगे। किसी भी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (जिला आयोग) के सदस्य पद के लिए पात्रताएं, अपात्रताएं वही होंगी जो उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 में उल्लेखित हैं। सदस्य को देय वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम 2021 के अनुसार होंगी। जो सुलभ सन्दर्भ के लिए संलग्न है। सदस्य के पद पर चयन की प्रक्रिया पृथक से जारी कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट **www.food.mp.gov.in** तथा म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल की वेबसाईट **www.mpscdrc.mp.gov.in** पर प्रदर्शित की जायेगी।

https://mpcareer.in/
https://mpcareer.in/

नोट – (1) ऐसे सदस्य जिनके दो कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, वे आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

(2) ऐसे सदस्य जिनका एक कार्यकाल दिनांक 31.03.2023 को या इसके पूर्व समाप्त होने वाला है, वे ही पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

18/8/2022

(बी.के. चन्देल)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अंतिम तिथि 06.09.2022

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन

विज्ञप्ति क्रमांक : एफ 5-2/2022/29-2 दिनांक 18.08.2022

पासपोर्ट आकार का नवीनतम छायाचित्र चिपकाएँ एवं स्वप्रमाणित करें।

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
जिला ....

1.	नाम	:	
2.	पिता / पति का नाम	:	
3.	माता का नाम	:	
4.	जन्म तिथि (आवेदन की तिथि को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी)* (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:	अंकों में शब्दों में
5.	लिंग (Gender)(✔) का निशान लगायें	:	पुरुष ☐ महिला ☐
6	पत्र व्यवहार का पता	:	
7.	स्थायी पता	:	
8.	आवेदक का मोबाइल नंबर	:	
9.	आवेदक का ई-मेल	:	
10.	शैक्षणिक योग्यता	:	

परीक्षा का नाम	संकाय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल प्राप्तांक / कुल पूर्णांक	प्रतिशत
हायर सेकेंडरी					
स्नातक					
विधि स्नातक					
बीए.एलएलबी (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)					
स्नातकोत्तर					
एम.फिल.					
पी.एचडी.					
अन्य					

(मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (जो लागू न हो, काट दें)

11.	वर्तमान व्यवसाय	:	
12.	अनुभव क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले,	:	

	प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखता हो। (अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)		
13.	क्या आप पूर्व में जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य रहे हैं? यदि हाँ तो कब से कब तक, पूर्ण विवरण दें।	:	
14.	वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित लिखें)	:	
15.	विवाहित होने की स्थिति में – पति / पत्नि का नाम - जीवित बच्चों की संख्या - क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं (हाँ/नहीं लिखें) अंतिम बच्चे की जन्मतिथि	:	
16.	क्या आप कोई लोक पद, निजी संस्थान/राजनैतिक दल में कोई पद धारित करते हैं या किसी ऐसे व्यवसाय में रत हैं जिससे सदस्य के रूप में आपके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो?	:	
17.	यदि हाँ, तो क्या आप पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे पद या व्यवसाय को छोड़ने को तत्पर हैं ?	:	
18.	सेवारत होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।		

(जो लागू न हो, काट दें)

- घोषणा -

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ पूरी सत्य और सही हैं। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाये या बाद में अपात्रता का पता चले तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। मैं राज्य आयोग के निर्देशानुसार अन्य जिला उपभोक्ता आयोग की बैठकों में भाग लेने हेतु सहमति देता/देती हूँ। इस संबंध में विभागीय निर्णय मुझे मान्य होगा। मैंने विभाग के निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ व समझ लिया है और मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव आदि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए मैंने नियमानुसार अपने विभागीय नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित कर दिया है। चयन के किसी भी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर मेरा आवेदन स्वमेव ही निरस्त माना जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220551
CG-DL-E-16072020-220551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/आषाढ़ 24, 1942
No. 348] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASHADHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 452(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 है। परि

(2) ये 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—** जब तक कि संदर्भ ,इन नियमों में (1) –में अन्यथा आवश्यक न हो- ,

(क) 'अधिनियम'से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019) 2019 ,का (35 अभिप्रेत है;

(ख) 'चयन समिति' से नियम 6 के उप-नियम (1) में संदर्भित चयन समिति अभिप्रेत है;

(2) इनमें उपयोग किए गए ऐसे शब्दों और पद जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है, और अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में परिभाषित किया गया हो ।

3. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा;

(2) कोई व्यक्ति, जिसकी आयु चालीस वर्ष से कम हो और निम्नलिखित का धारक न हो, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा; --

(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव:

परन्तु नियुक्ति किए जाने वाले सदस्यों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; अथवा

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम बीस वर्ष का अनुभव;

(3) *राज्य आयोग का कम-से-कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।*

4. जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा;.

(2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्ह होगा जब वह -

क) कम-से-कम पैंतीस वर्ष की आयु का हो;

ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातिक की उपाधि प्राप्त हो; और

ग) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो;

(3) *जिला आयोग का कम-से-कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।*

5. राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति के लिए अनर्हता.—कोई व्यक्ति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदि वह -

(1) ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो; अथवा

(2) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो; अथवा

(4) राज्य सरकार अथवा केंन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो; अथवा

(5) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

6. नियुक्ति की प्रक्रिया.—(1) राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात -–

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नाम विर्देशित उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश – अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव – सदस्य;

(ग) राज्य के मुख्य सचिव के नामिति – सदस्य।

(2) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव चयन समिति के संयोजक होंगे।

(3) चयन समिति के अध्यक्ष की रिक्ति अथवा अनुपस्थिति के सिवाय चयन समिति में किसी रिक्ति अथवा अनुपस्थिति के कारण मात्र से अध्यक्ष अथवा सदस्य की कोई भी नियुक्ति अवैध नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पद रिक्त होने से कम से कम छः पूर्व आरम्भ की जाएगी।

(5) यदि कोई पद सदस्य द्वारा त्यागपत्र अथवा उसकी मृत्युअथवा किसी नए पद के सृजन के कारण रिक्त होता है, तो पद को भरने की प्रक्रिया पद के रिक्त होने अथवा नया पद सृजित होने, जैसा भी मामला हो, के तत्काल पश्चात आरम्भ की जाएगी।

(6) किसी पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु रिक्ति विज्ञापन को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे अन्य रीति से परिचालित किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाएं।

(7) ऐसे आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए आवेदनों की जांच के पश्चात्, पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची उनके आवेदनों सहित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(8) चयन समिति उसे अग्रेषित पात्र आवेदकों के सभी आवेदनों पर विचार करेगी और यदि समिति, यदि आवश्यक समझे, तो स्वयं द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदकों की छंटनी कर सकती है।

(9) चयन समिति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और उपयुक्तता, विगत कार्य-निष्पादन के अभिलेख, सत्यनिष्ठा और अधिनिर्णयन अनुभव पर विचार करते हुए अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।

(10) चयन समिति राज्य सरकार के विचारार्थ मेरिट के क्रम में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(11) राज्य सरकार अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और पूर्ववृत्तों का सत्यापन करेगी अथवा कराएगी।

(12) प्रत्येक अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाइंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी।

(13) नियुक्त के पूर्व, चयनित अभ्यर्थी एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

7. राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी भी समय, अपनी हस्तलिपि में राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित पत्र द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है:

परन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कार्यालय को शीघ्र छोड़ने की अनुमति न दी जाए, ऐसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त किसी व्यक्ति के उसका पदभार ग्रहण करने तक अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी हो, पद पर बना रहेगा।

8. राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटाया जाना.—(1) राज्य सरकार किसी ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटाएगी, जो —

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(ख) किसी ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, में अभियोजित किया गया हो; अथवा

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा

(घ) ऐसे वित्तीय अथवा अन्य लाभों का अधिग्रहण किया हो जिनसे किसी सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो; अथवा

(ङ) पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया गया हो जिससे लोक हित में उसका पद पर बना रहना हानिकारक हो:

परन्तु जब किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य को खंड (ग) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किन्ही आधारों पर हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, अध्यक्ष अथवा सदस्य को उनके विरूद् लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपों के संबंध में उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

9. राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की जांच की प्रक्रिया.— (1) यदि राज्य सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है जिसमें राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के संबंध में पद के कार्यों का निष्पादन करने के लिए दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के किसी निश्चित आरोप के लिए आरोपित किया गया हो, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्राथमिक संवीक्षा करेगी।

(2) यदि प्राथमिक जांच के बाद, राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के किसी दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के सत्य में जांच करने के तर्कसंगत आधार हैं, तो यह राज्य आयोग के मामले में राष्ट्रीय आयोग को तथा जिला आयोग के मामले में राज्य आयोग को जांच करने के लिए संदर्भित करेगी।

(3) राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, तीन माह की अवधि के भीतर अथवा राष्ट्रीय आयोग दवारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा।

(4) जांच पूरी होने के पश्चात्, राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वह पृथक रूप से प्रत्येक आरोप के संबंध में अपने निष्कर्षों और उसके कारणों के साथ सम्पूर्ण मामले पर उन प्रेक्षणों का उल्लेख करेगा, जो वह उचित समझे।

(5) राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं होगा परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा तथा उसके पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने सहित उसकी जांच के लिए तारीख, स्थान और समय का निर्धारित करने की शक्तियां होंगी।

10. अध्यक्ष अथवा सदस्य का कार्यकाल.—राज्य आयोग तथा जिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा पैंसठ वर्ष की आयु के अध्यधीन चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे तथा ऐसी पुनःनियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

[फा. सं. जे-10/7/2018-सीपीयू]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

[नियम 6 (12) देखें]

शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र

मैं विधिवत प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री .... की जांच की है और मैंने उनमें .... के सिवाय कोई बीमारी (संक्रामक अथवा अन्यथा), शारिरीक निर्बलता अथवा शारीरिक अशक्तता नहीं पाई है। मैं इसे राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य के रूप में नियोजन के लिए उनकी अनर्हता नहीं मानता हूं।

तारीख……….

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पदनाम

(सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2020

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by sections 29 and 43, read with clauses (n) and (w) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the 20th day of July, 2020.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "Selection Committee" means the Selection Committee referred to in sub-rule (1) of rule 6;

(2) The words and expressions used herein, but not defined and defined in the Act shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Qualifications for appointment of President and members of the State Commission.—(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he is, or has been, a Judge of the High Court;

(2) A person shall not be qualified for appointment as a member unless he is of not less than forty years of age and possesses--

(a) an experience of at least ten years as presiding officer of a district court or of any tribunal at equivalent level or combined service as such in the district court and tribunal:

Provided that not more than fifty percent of such members shall be appointed; or

(b) a bachelor's degree from a recognised university and is a person of ability, integrity and standing, and has special knowledge and professional experience of not less than twenty years in consumer affairs, law, public affairs, administration, economics, commerce, industry, finance, management, engineering, technology, public health or medicine:

(3) At least one member or the President of the State Commission shall be a woman.

4. Qualifications for appointment of President and member of District Commission.—(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he is, or has been , or is qualified to be a District Judge.

(2) A person shall not be qualified for appointment as member unless he-

(a) is of not less than thirty-five years of age;

(b) possesses a bachelor's degree from a recognised University; and

(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge and professional experience of not less than fifteen years in consumer affairs, law, public affairs, administration, economics, commerce, industry, finance, management, engineering, technology, public health or medicine .

(3) At least one member or the President of the District Commission shall be a woman.

5. **Disqualification for appointment of President or member of State Commission and District Commission.**—A person shall be disqualified for appointment as the President or a member of a State Commission or District Commission if he—

(1) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which involves moral turpitude; or

(2) has been adjudged to be insolvent; or

(3) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(4) has been removed or dismissed from the service of the State Government or Central Government or a body corporate owned or controlled by such Government; or

(5) has, in the opinion of the State Government, such financial or other interest as is likely to prejudicially affect his functions as the President or a member.

6. Procedure of appointment.—(1) The President and members of the State Commission and the District Commission shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Selection Committee, consisting of the following persons, namely: –

(a) Chief Justice of the High Court or any Judge of the High Court nominated by him-Chairperson;

(b) Secretary in charge of Consumer Affairs of the State Government – Member;

(c) Nominee of the Chief Secretary of the State—Member.

(2) The Secretary in charge of Consumer Affairs of the State Government shall be the convener of the Selection Committee.

(3) No appointment of the President, or of a member shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Selection Committee other than a vacancy or absence of the Chairperson.

(4) The process of appointments shall be initiated by the State Government at least six months before the vacancy arises.

(5) If a post falls vacant due to resignation or death of a member or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.

(6) The advertisement of a vacancy inviting applications for the posts from eligible candidates shall be published in leading newspapers and circulated in such other manner as the State Government may deem appropriate.

(7) After scrutiny of the applications received till the last date specified for receipt of such applications, a list of eligible candidates along with their applications shall be placed before the Selection Committee.

(8) The Selection Committee shall consider all the applications of eligible applicants referred to it and if it considers necessary, it may shortlist the applicants in accordance with such criteria as it may decide.

(9) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation keeping in view the requirements of the State Commission or the District Commission and after taking into account the suitability, record of past performance, integrity and adjudicatory experience.

(10) The Selection committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment in the order of merit for the consideration of the State Government.

(11) The State Government shall verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the recommended candidates.

(12) Every appointment of a President or member shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure appended to these rules, duly signed by a civil surgeon or District Medical Officer.

(13) Before appointment, the selected candidate shall furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a President or member.

7. Resignation by President or Member of State Commission or District Commission.—The President or any member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office at any time:

Provided that the President or member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

8. Removal of President or Member of State Commission or District Commission from office.—(1) The State Government shall remove from office any President or member, who—

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest:

Provided that where a President or member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (c) to (e), the President or member shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

9. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of President or Member of State Commission or District Commission.—(1) If a written complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of the President or a Member of the State Commission or District Commission, the State Government shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of the President or a Member of the State Commission or District Commission, it shall make a reference to the National Commission in the case of State Commission and to the State Commission in the case of District Commission to conduct the inquiry.

(3) The National Commission or the State Commission, as the case may be, shall complete the inquiry within three months or such further time as may be specified by the National Commission.

(4) After the conclusion of the inquiry, the National Commission or the State Commission, as the case may be, shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The National Commission or the State Commission, as the case may be, shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

10. Term of office of President or Member.—The President and every member of the State Commission and the District Commission shall hold office for a term of four years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for another term of four years subject to the age limit of sixty-five years, and such reappointment is made on the basis of the recommendation of the Selection Committee.

[F. No. J-10/7/2018-CPU]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

ANNEXURE

[See rule 6 (12)]

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS

I hereby certify that I have examined Shri/Smt./Ms…………………………………………….. and that I have not discovered that he/she has any disease (communicable or otherwise) , constitutional weakness or bodily infirmity, except…………………………… I do not consider this a disqualification for his/her for employment as member in the State/District Consumer Disputes Redressal Commission for a period of four years or up to the age of sixty five years, whichever is earlier.

Date……….

Signature of candidate

Signature
Designation
(Civil Surgeon/District Medical Officer)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.16 18:31:00 +05'30'

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अगस्त 2021—श्रावण 26, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2021

एफ 5-4-2020-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाऐं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 का 35);

(ख) 'जिला आयोग' से अभिप्रेत है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग;

(ग) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग का सदस्य;

(घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग का अध्यक्ष;

(ङ) 'राज्य आयोग' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग;

(च) 'राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं.

3. **जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते.**—(1) अध्यक्ष ऐसे वेतन, भतों और समस्त सुविधाओं का हकदार होगा, जो किसी प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय हैं.

(2) सदस्य, राज्य सरकार के किसी अवर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा.

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की राशि की कटौती की जाएगी और उसे कार्यकाल के दौरान पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी.

(4) अध्यक्ष और सदस्य का वेतन 3% की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी.

4. **राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते.**—(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष ऐसे वेतन, अन्य भत्तों और सभी सुविधाओं का हकदार होगा, जो राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय है.

(2) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य शासन के उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन बराबर वेतन तथा ऐसे अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते वेतन प्राप्त करेगा.

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की राशि की कटौती की जाएगी और उसे कार्यकाल के दौरान पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी.

(4) सदस्य के वेतन में 3% की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी.

5. चिकित्सीय उपयुक्तता.—किसी भी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संबंधित सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता.

6. आकस्मिक रिक्ति.—(1) राज्य आयोग में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में राज्य शासन को ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करने का अधिकार होगा:

परन्तु जहां कोई राज्य का सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, राज्य आयोग का सदस्य है, या जहां ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, वहां ऐसे सदस्यों में से ज्येष्ठतम व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा.

(2) यदि किसी समय जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति होती है तो अध्यक्ष राज्य आयोग किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की शक्तियों का उपयोग करने और कृत्यों के निर्वहन करने का निर्देश दे सकेंगे. जब तक कि रिक्त पद की पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है.

7. **मकान किराया भत्ता.**—(1) राज्य आयोग में अध्यक्ष, शासकीय बंगला उपलब्ध न होने की दशा में राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय दर के समान दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे.

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष, शासकीय बंगला उपलब्ध न होने की दशा में प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश को मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे.

(3) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय दर के समान दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे.

8. **परिवहन भत्ता.**—(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय परिवहन भत्ते के हकदार होंगे.

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष, प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय परिवहन भत्ते के हकदार होंगे.

(3) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय दर के समान दर पर परिवहन भत्ते के हकदार होंगे.

9. **छुट्टी और चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं.**—(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे.

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष, प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे.

(3) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को लागू उपबंधों के अनुसार छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे.

10. **वित्तीय एवं अन्य लाभों की घोषणा.**—अध्यक्ष अथवा सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले अपनी आस्तियों, और अपने दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य लाभों की घोषणा करेगा.

11. **सेवा की अन्य शर्तें.**—(1) अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, निम्नानुसार होंगी :—

(क) राज्य आयोग के अध्यक्ष के मामले में राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के लिये उपबंधित हैं;

(ख) जिला आयोग के अध्यक्ष के मामले में प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के लिये उपबंधित है;

(ग) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य के मामले में तत्स्थानी प्रास्थिति के राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है.

(घ) अध्यक्ष या सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्ति के मामले में उनका वेतन प्रावधानित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा.

(ङ) कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति के मामले में उस अध्यक्ष या सदस्य को पूर्व कार्यकाल समाप्ति के एक माह पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी.

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, से कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा.

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में इन क्षमताओं में कार्य करते समय किसी प्रकार का मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा.

(4) यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, का अध्यक्ष अथवा सदस्य उस तारीख से जिससे वे पद पर नहीं रह जाते हैं, दो वर्षों की अवधि तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन अथवा प्रशासन में अथवा उससे संबंधित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगा जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा हो :

परंतु इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय शासन अथवा किसी राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी.

12. **पद और गोपनीयता की शपथ.**—अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में प्ररूप 1 में दी गई पद की शपथ तथा प्ररूप 2 में दी गई गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा.

13. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भतों की अदायगी राज्य सरकार की संचित निधि से की जाएगी.

14. जिला आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

परिशिष्ट–1

प्ररूप–I

(नियम 12 देखें)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ... (नाम), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग .... (स्थान)/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग .... (स्थान) का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूँगा तथा किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूँगा तथा मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूँगा.

....

(हस्ताक्षर एवं नाम)

प्ररूप–II

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं, ... (नाम), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग .... (स्थान)/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग .... (स्थान) का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये यथाअपेक्षित के सिवाय, मेरे विचाराधीन प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुए किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूँगा.

....

(हस्ताक्षर एवं नाम)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमाकान्त पाण्डेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2021

एफ 5-4-2020-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4-2020-उन्तीस-2, दिनांक 17 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डेय, उपसचिव.

Bhopal, the 17th August 2021

F. 5-4-2020-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred under Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'District Commission' means District Consumer Disputes Redressal Commission;

(c) 'Member' means a Member of the District Commission or the State Commission as the case may be;

(d) 'President' means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(e) 'State Commission' means The Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission;

(f) 'State Government' means the Government of Madhya Pradesh;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Salaries and allowances payable to President and members of District Commission.**—(1) The President shall be entitled to the salary, allowance and all the facilities as are admissble to a Principal District Judge/District Judge prescribed by the State Government.

(2) A Member shall received a pay equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Under Secretary of the State Government and other allowances as admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the amount of pension drawn by him during his/her entire service as President or Member shall not claim relief on the pension drawn by him/her.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of the President and member at the rate of 3%.

4. **Salaries and allowances payable to President and members of the State Commission**—(1) The President of the State Commission shall be entitled to the salary, other allowances and all the facilities as are admissible to a sitting judge of the High Court of the State.

(2) A Member of the State Commission shall receive a pay equivalent to the pay at minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary of the State Government and other allowances as are admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the amount of pension drawn by him during his/her entire service as President or Member, shall not claim relief on the pension drawn by him/her.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of a member at the rate of 3%.

5. **Medical fitness.**—No person shall be appointed as President or Member unless he/she is declared medically fit by the concerned Civil Surgeon/District Medical Officer.

6. **Casual Vacancy.**—(1) In case of a casual vacancy in the office of President in the State Commission, the State Government shall have the power to appoint the senior most Member to officiate as President.

Provided that where a retired Judicial Officer of the State is a member of the State Commission, or where the member of such members is more than one, the senior-most person amongst such members, shall be appointed by the State Government to officiate as President.

(2) If, at any time, there is a casual vacancy in the office of President or Member of a District Commission, the President of the State Commission shall have the power to direct the President or a Member of any other District Commission to exercise the powers and discharge the functions of the President or Member of that District Commission till appointment against the vacant post is made by the State Government.

7. **House rent allowance.**—(1) The President of the State Commission, in case of non-availability of official bungalow, shall be entitled to house rent allowance as is admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

(2) The President of the District Commission, in case of non-availability of official bungalow shall be entitled to house rent allowance as is admissible to a District Judge.

(3) The Members of the State Commission and District Commission shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer.

8. **Transport allowance.**—(1) The President of the State Commission, shall be entitled to transport allowance as is admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

(2) The President of the District Commission shall be entitled to transport allowance as is admissible to a Principal District Judge/District Judge.

(3) The Members of the State Commission and District Commission shall be entitled to transport allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government.

9. **Leave and medical treatment and hospital facilities.**—(1) The President of the State Commission shall be entitled to leave, leave travel concession, medical treatment and hospital facilities as are admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

(2) The President of the District Commision shall be entitled to leave, leave travel concession, medical treatement and hospital facilities as are admissible to a Principal District Judge/District Judge.

(3) The Members of the State Commission and District Commission shall be entitled to leave, leave travel concession, medical treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to Group 'A' Officer of the State Government.

10. **Declaration of Financial and other Interest.**— The President or member shall, before entering upon his office, declare his assests, and his liabilities and financial and other interests.

11. **Other conditions of service.**—(1) The terms and conditions of service of the President or Member with respect to which no expressed provision has been made in these Rules, shall be as follows :

(a) In case of the President of the State Commission it shall be such as are provided to a sitting Judge of the High Court of the State.

(b) In case of the President of the District Commission it shall be such as are provided to a principal District Judge/District Judge.

(c) In case of the Members of the State Commission and District Commission it shall be such as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

(d) In case of re-appointment of president or members, the salary shall be fixed at the minimum of prescribed pay scale.

(e) In case of re-appointment of a president or member before the end of the tenure, that president or member shall be eligible to join after one month of the completion of the prior tenure.

(2) The President or member shall not practice before the National Commission, the State Commission or the District Commission after expiration of tenure from the service of the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(3) The President or member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(4) The President or member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the State Commission or the District Commission:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

12. **Oaths of office and secrecy.**—Every person appointed to be the President or member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office in Form I and oath of secrecy in Form II annexed to these rules in annexure I.

13. The Salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

14. The terms and conditions of the service of the President and the members of the Distrct Commission and the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

ANNEXURE-1
[See Rule 12]

FORM-I

Form of Oath of Office of the President and Member of the State Commission and District Commission

I, ... (Name), having been appointed as the President/Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place)/District Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place) do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

. . . .
(Signature and Name)

FORM-II

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, ... (Name), having been appointed as the President/Member of he State Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place)/District Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place) do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

. . . .
(Signature and Name)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UMAKANT PANDEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.